# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
## पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/378
दायरा तिथि : 13.10.2022
आदेश तिथि :
प्रार्थी :–

संतोष कुमार पुत्र हजारीलाल जाति बैरवा निवासी नेहरू कॉलोनी सिरोही
ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. धनीदेवी पत्नी चेलारामजी जाति मेघवाल
2. कंकुदेवी पत्नी लच्छारामजी जाति रेबारी
3. कन्या पुत्री लच्छारामजी जाति रेबारी
4. गंगा पुत्री लच्छारामजी जाति रेबारी
5. गवरी पुत्री लच्छारामजी जाति रेबारी
6. किशना राम पुत्र नगाराम जाति रेबारी निवासीगण धणी
7. रमेश कुमार पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल
8. धनीदेवी पत्नी चेलारामजी जाति मेघवाल
9. तेजाराम पुत्र गलाराम
10. रताराम पुत्र गलाराम
11. हरनाथराम पुत्र गलाराम जातिगण चौधरी निवासीगण धणी
12. नवाराम पुत्र हरजीराम जाति रेबारी
13. पांचाराम पुत्र हरजीराम जाति रेबारी निवासीगण धणी तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

### आदेश

दिनांक:

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 504 रकबा 0.6100 हैक्टर व खसरा नंबर 507 रकबा 0.4200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 499/1, 500, 502 रकबा क्रमशः 0.1940 हैक्टर, 0.2700 हैक्टर, 0.2800 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक 2023/83 दिनांक 13.04.2023 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश करने पर तहसीलदार बाली से पुनः मौका रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने पुनः जांच कर मौका रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक/2025/3084 दिनांक 04.11.2025 से प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

| क्र. स. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किस्म | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499/1 | 0.1940 | बारानी अव्वल | 55X05=275 वर्गमीटर | धनीदेवी पत्नी चेलाराम जाति मेघवाल सा. बाली खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |
| 2 | 500 | 0.2700 | बारानी अव्वल | 77X2.5=192.5 वर्गमीटर | कन्या पुत्री लछाराम हि0 1/2 जाति रेबारी सा. देह खातेदार वगेरा (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |
| 3 | 498 | 0.3300 | बारानी अव्वल | 62X2.5=155 वर्गमीटर | रमेश कुमार पुत्र गणेश राम हि0 1/9 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |
| 4 | 502 | 0.2800 | बारानी अव्वल | 79X2.5=197.5 वर्गमीटर | |
| 5 | 503 | 0.3000 | बारानी अव्वल | 79X2.5=197.5 वर्गमीटर | तेजाराम पुत्र गलाराम हि0 2/45 जाति रेबारी सा. देह खातेदार वगैरा (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |

पेज लगातार..........02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/378**
अनवान संतोष कुमार वगैरा बनाम धनीदेवी वगैरा
***अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955***

1. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण /वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।
2. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम धणी पटवारी हल्का धणी की डी.एल.सी. दर 241542/– रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थी कन्या व किशनाराम जो कि खसरा नंबर 500 के खातेदार है, ने खसरा नंबर 500 व 498 दोनों में से माठ पर बराबर रास्ता दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर मनन के पश्चात खसरा नंबर 503 के खातेदारों को तलब किया गया। अप्रार्थी रमेश की ओर स श्री दिनेश गहलोत ने पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। उपस्थित वकुलाय की प्रार्थना पत्र बाबत पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाने एवं मूल प्रार्थन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए पर बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 504 रकबा 0.6100 हैक्टर व खसरा नंबर 507 रकबा 0.4200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा नया रेकर्डेड रास्ता हेतु आवेदन किया गया है। जिसके संबंध में तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपत्ति प्रस्तुत हुई। जिस पर न्यायालय आदेशिका दिनांक 10.06.2025 से आपत्ति को निस्तारित करते हुये पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीसलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक /राजस्व/2025/3084 दिनांक 04.11.2025 से मौका जांच के पश्चात खसरा नंबर 499/1, 500, 498, 502 व 503 में से आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंच का मार्ग उपलब्ध कराये जाने की रिपोर्ट पेश की है। जिस रिपोर्ट से खसरा नंबर 500 के खातेदारान ने खसरा नंबर 500 व 498 की माठ पर से बराबर रास्ता दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। परंतु खसरा नंबर 498 के खातेदार रमेश द्वारा इस आशय की आपत्ति करना की प्रस्तावित रास्ते में उल्लेखित खसरा नंबर 499/1 में मौके पर सैटेलाइट नक्शे के अनुसार कच्चे पक्के निर्माण है तथा आवासीय भूखंड भी है। जिससे प्रकरण में पुनः रिपोर्ट मंगाये जाने की दलील उनके अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत द्वारा दी गई। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि खसरा नंबर 499/1 के खातेदार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। तथा खसरा नंबर 498 के खातेदार द्वारा तीसरे पक्ष की भूमि जिसमें उनका कोई हित प्रभाावित नहीं होते हुये उक्त आपत्ति पेश की गई है जो आपत्ति निराधाार है। जिसको खारिज कर प्रकरण में रास्ते बाबत आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है। प्रकरण में दो बार तहसीलदार बाली से रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है। प्रकरण लगभग तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित है। चूकि धारा 251(ए) एक समरी प्रोसिडिंग हैं जिसमें 90 दिन की अवधि में जॉच करते हुए प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु प्राविधित किया गया हैं। तथा प्रार्थी अब 15फीट रास्ता लेने पर भी सहमत है। जिससे उभयपक्षों की बहस पर मनन के पश्चात सहमति अनुसार अतः प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 504 रकबा 0.6100 हैक्टर व खसरा नंबर 507 रकबा 0.4200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 499/1 रकबा 0.1940 हैक्टर, खसरा नंबर 500 रकबा 0. 2700 हैक्टर, खसरा नंबर 498 रकबा 0.3300 हैक्टर, खसरा नंबर 502 रकबा 0.2800 हैक्टर व खसरा नंबर 503 रकबा 0.3000 हैक्टर में से **251.35+175.56+141.36+180.12+180.12=928.51** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/378**

अनवान संतोष कुमार वगैरा बनाम धनीदेवी वगैरा

*अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*

| खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल | डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 241542/—रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 499/1 | 0.1940 | 55X4.57= 251.35 वर्गमीटर | 25 | 6284X2=12568 | धनीदेवी पत्नी चेलाराम जाति मेघवाल सा. बाली खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |
| 500 | 0.2700 | 77X2.28= 175.56 वर्गमीटर | 25 | 4389X2=8778 | कन्या पुत्री लछाराम हि0 1/2 जाति रेबारी सा. देह खातेदार वगेरा (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |
| 498 | 0.3300 | 62X2.28= 141.36 वर्गमीटर | 25 | 3534X2=7068 | रमेश कुमार पुत्र गणेश राम हि0 1/9 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार) |
| 502 | 0.2800 | 79X2.28= 180.12 वर्गमीटर | 25 | 4503X2=9006 | |
| 503 | 0.3000 | 79X2.28= 180.12 वर्गमीटर | 25 | 4503X2=9006 | तेजाराम पुत्र गलाराम हि0 2/45 जाति रेबारी सा. देह खातेदार वगैरा(संलग्न जमाबंदी अनुसार) |

**प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 46426/— (अक्षरे छीयालीस हजार चार सौ छब्बीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

क्रमांक/कोर्ट/2026/904—908

दिनांक :04-6-2026

**प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—**

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक संतोष कुमार पुत्र हजारीलाल जाति बैरवा निवासी नेहरू कॉलोनी सिरोही को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

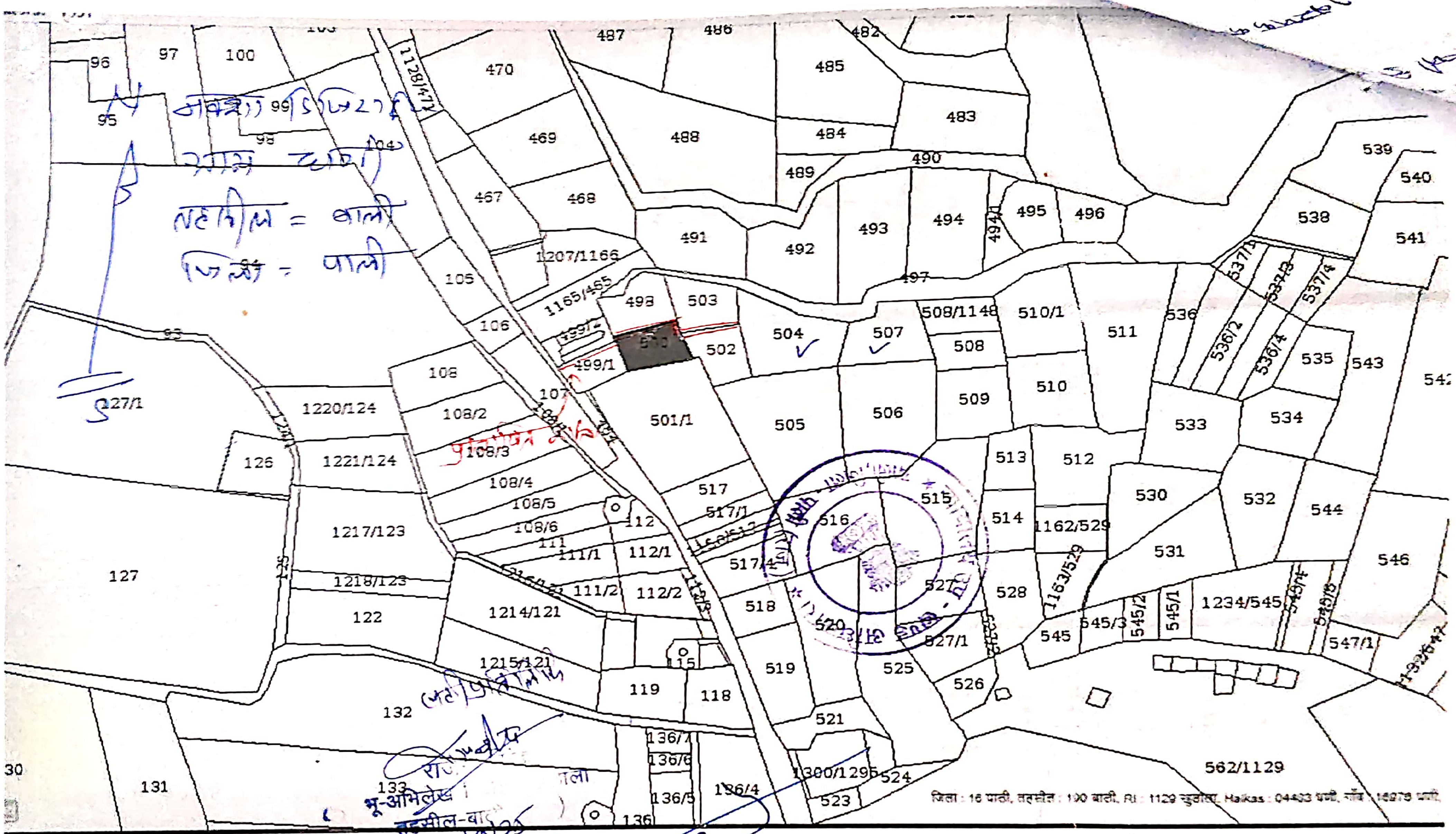


तहसीलदार,बाली

Scanned with OKEN Scanner